विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-25/17

मेसर्स हिमांशी टेक्सटाईल्स — आवेदक
प्रो. निर्मला रोहरा
59, उद्योगपुरी मक्सी रोड,
उज्जैन (म.प्र.)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (पूर्व) शहर संभाग — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
उज्जैन (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 11.10.2017 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0376517 मेसर्स हिमांशी टेक्सटाईल्स, उज्जैन विरूद्ध कार्यपालन यंत्री (पूर्व), मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. उज्जैन में पारित आदेश दिनांक 07.07.2017 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 विद्युत लोकपाल कार्यालय में उक्त अपील अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–25/17 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 प्रकरण में दिनांक 18.08.2017 को सुनवाई प्रारंभ की गई जिसमें आवेदक के प्रतिनिधि श्री महेश वरूण उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से मोहम्मद आमिर, सहायक यंत्री, उज्जैन उपस्थित हुए।

04 सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा बताया गया कि उन्हें अनावेदक द्वारा फरवरी 2016 से दिसंबर 2016 तक की बिलिंग को यह कहकर पुनरीक्षित किया गया है कि भूलवश मीटर द्वारा दर्ज खपत एवं एमडी में गुणांक 2 का गुणा न करके मीटर द्वारा दर्ज खपत एवं एमडी के अनुसार बिलिंग की जा रही थी। इस कारण इस अवधि में वास्तविक खपत एवं एमडी से बिल दिया गया । अतः पूरक बिल रूपये 274719/– का दिया गया।

05 आवेदक द्वारा बताया गया कि दिनांक 13.1.2017 को परिसर के निरीक्षण के दौरान बनाये गये पंचनामा में मीटर द्वारा R Y B फेस पर क्रमशः 9.45, 11.3 तथा 9.93 एम्पीयर दर्ज हो रहा था तथा टॉग टेस्टर से लोड नापने पर R Y B फेस पर क्रमशः 20.5, 25.1 तथा 20.5

एम्पीयर लोड पाया गया था। अतः उपरोक्त अनुसार पाये गये करंट के अनुसार मीटर में दर्ज खपत 6 किलोवाट टॉंग टेस्टर से नापने पर 11.28 किलोवाट संविदा भार दर्ज होना पाया गया। (ओई–1)

06 आवेदक द्वारा बताया गया कि अनावेदक द्वारा उपरोक्त दिये गये पूरक बिल से असंतुष्ट होकर आवेदन पत्र दिया कि मीटर के समानांतर मीटर लगाकर सुधार किया जाए अथवा नवीन मीटर लगाकर दर्ज हुई एमडी के अनुसार बिल सुधारा जाए। अनावेदक द्वारा नवीन मीटर स्थापित किया गया तथा जिसमें एमडी विवादित मीटर के समतुल्य दर्ज होना पाया गया इसके बावजूद भी उनके द्वारा दिये गये पूरक देयक को निरस्त करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

07 आवेदक द्वारा बताया गया कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर द्वारा भी तथ्यों को नजर अंदाज करके अपना निर्णय दिया जो निरस्त करने योग्य है।

08 तर्क के दौरान आवेदक द्वारा विद्युत लोकपाल से अनावेदक को मीटर की लोड सर्वे रिपोर्ट या विवादित मीटर के समानांतर मीटर लगाकर समस्या का निदान कराने का अनुरोध किया।

09 तर्क के दौरान अनावेदक द्वारा बताया गया कि माह फरवरी 2016 से दिसंबर 2016 के मध्य परिवर्तित बिलिंग प्रोग्राम लागू होने के कारण ''ए.पी.डी.आर.पी.'' योजना के तहत ''सी.सी.एन. बी.'' प्रोग्राम के तहत बिल प्रारंभ होने से त्रुटिवश उपभोक्ता को जारी देयक गुणांक 2 (एम. एफ.–2) के स्थान पर एम.एफ.–1 के आधार पर देयक जारी होते रहे।

10 अनावेदक द्वारा बताया गया कि दिनांक 13.1.2017 को एच.टी.एम. संभाग उज्जैन की टीम द्वारा आवेदक के परिसर का निरीक्षण किया गया तथा पाया गया कि आवेदक के परिसर में सिक्योर (SECURE) कंपनी का मीटर स्थापित किया गया जो कि 100 X 5 एम्पीयर का है तथा जिसमें 200 X 5 की सीटी लगाई गई। निरीक्षण के समय तीनों फेस पर क्रमशः (R फेस 9.45 ए.), (Y फेस 11.3 ए.), (B फेस 9.93 ए.) लोड पाया गया। जबकि टॉंग टेस्टर से नापने पर R फेस पर 20.5, Y फेस पर 25.1 तथा B फेस पर 20.5 एम्पीयर लोड पाया गया।

11 अनावेदक द्वारा बताया गया है कि एम.आर.आई. रिपोर्ट में मीटर द्वारा दर्ज वास्तविक खपत ही परिलक्षित होती है जो कि मीटर में दर्शाये जाने वाली रीडिंग से मिलान हो रहा हो। मीटर में दर्ज खपत और एमडी को मेन्युअली (Manually) गुणांक 2 से गुणा करके बिलिंग की जाती है। अतः आवेदक को फरवरी 2016 से दिसंबर 2016 के मध्य में दिये गये विद्युत देयक को गुणांक 2 से पुनरीक्षित कर पूरक देयक दिया गया।

12 आवेदक के परिसर में उपरोक्त विवादित मीटर के स्थान पर नया सिक्योर (SECURE) कंपनी का मीटर ही दिनांक 10.3.2017 को 40 – 200 एम्पीयर का लगाया गया। (ओई–4)

13 दिनांक 18.8.2017 को सुनवाई के दौरान आवेदक के अनुरोध पर एवं आवेदक की संतुष्टी हेतु तथा नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से आवेदक के परिसर में वर्तमान में स्थापित मीटर के समानांतर एक मीटर जिसकी की तकनीक विवादित मीटर के अनुरूप हो लगाकर दोनों मीटर में दर्ज खपत एवं एमडी अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 9.10.2017 को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

14 अनावेदक द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 18.8.2017 को दिये गये निर्देशानुसार आवेदक के परिसर में स्थापित मीटर के समानांतर पूर्व में स्थापित मीटर के समतुल्य पैरा मीटर के अनुसार मीटर स्थापित कर दिया गया। (ओई–2)

15 आवेदक एवं अनावेदक द्वारा अनुरोध किया गया कि समानांतर में लगाये गये मीटर एवं परिसर में स्थापित मीटर में दर्ज खपत एवं एमडी का सही तुलनात्मक विवरण एक माह की रीडिंग से ही किया जा सकता है। अतः एक माह के पश्चात की तारीख देने का अनुरोध किया गया। तदनुसार दिनांक 9.10.2017 की तारीख नियत की गई।

16 दिनांक 9.10.2017 को आयोजित सुनवाई में आवेदक के प्रतिनिधि श्री महेश वरूण एवं श्री सत्यनारायण शर्मा उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से मोहम्मद आमिर, सहायक यंत्री, उज्जैन उपस्थित हुए तथा अनावेदक द्वारा दिनांक 18.8.2017 को दिये गये निर्देश अनुसार सामानांतर में लगाये गये मीटर में दर्ज खपत एवं एमडी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा अनावेदक द्वारा अपने पक्ष में अतिरिक्त लिखित वहस भी प्रस्तुत की। (ओई–3)

उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित वहस अवलोकन करने तथा सुनवाई के दौरान दिये गये तर्कों से निम्न तथ्य सामने आते हैं।

अ अनावेदक द्वारा आवेदक को 25 एचपी हेतु विद्युत कनेक्शन जारी किया गया।

ब दिनांक 13.1.2017 को परिसर के निरीक्षण एवं स्थापित मीटर का परीक्षण करते समय मीटर में आंतरिक सीटी 100/5 एम्पीयर की पाई गई तथा वाह्य सीटी 200/5 की पाई गई जिसके अनुसार मल्टीप्लाय फैक्टर 2 दोना चाहिए था।

स अनावेदक द्वारा बताया गया कि मीटर द्वारा दर्ज खपत एवं एमडी मीटर के आंतरिक सीटी रेशो के अनुसार ही दर्ज हो रहा था। जबकि बाहर लगी हुई 200/5 एम्पीयर की सीटी के अनुसार मीटर द्वारा दर्ज खपत एवं एमडी को 2 गुणा करनके बिलिंग की जानी चाहिए थी। जबकि आवेदक द्वारा तर्क के दौरान यह बताया गया कि मीटर में विनिर्दिष्ट (specification) द्वारा मीटर स्वतः बाहरी सीटी के रेशो को विचार (concider) करते हुए ही विद्युत खपत एवं एमडी दर्शाता है।

द अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक के अनुरोध पर मीटर का परीक्षण कराया गया जिसमें की मीटर 6 प्रतिशत धीमा पाया गया। (ओई–5)

च अनावेदक द्वारा दिनांक 20.8.2017 को आवेदक के परिसर में स्थापित मीटर के समानांतर विवादित मीटर के अनुरूप तकनीकी पैरामीटर वाला मीटर लगाया गया।

छ दिनांक 6.10.2017 को दोनों मीटर द्वारा दर्ज खपत एवं एमडी का विवरण अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया। (ओई–3) जिसके अनुसार परिसर में स्थापित मीटर में 8.16 एमडी दर्ज हुई जबकि समानांतर में लगाये गये सीटी मीटर में एमडी 16.5 पाई गई। अर्थात उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर में लगभग 50 प्रतिशत कम एमडी दर्ज हुई। इसी प्रकार विद्युत खपत भी लगभग 50 प्रतिशत कम दर्ज होना पाया गया।

17 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेदक को यह गलत जानकारी है कि उनके परिसर में पूर्व में लगा मीटर स्वतः बाहरी सीटी के अनुसार खपत एवं एमडी दर्ज करता है। जबकि वास्तव में मीटर में आंतरिक सीटी के रेशो के अनुसार ही मीटर में खपत एवं एमडी दर्ज होती है।

18 आवेदक के परिसर में दिनांक 10.3.2017 को स्थापित मीटर (40 – 200 एम्पीयर) के समानांतर में पूर्व के विवादित मीटर के तकनीकी पैरामीटर के अनुरूप ही एक मीटर स्थापित किया गया तथा दिनांक 6.10.2017 को मीटर में दर्ज खपत एवं एमडी से तुलना करने पर पाया गया कि परिसर में स्थापित मीटर 50 प्रतिशत खपत एवं एमडी कम दर्ज कर रहा है तथा इसे 2 से गुणा करने पर दोनों मीटर की खपत एवं एमडी बराबर हो जाती है। अतः पूर्व में स्थापित मीटर जो कि प्रकरण में विवादित बताया गया है का भी गुणांत 2 होना तकनीकी दृष्टि से ठीक प्रतीत होता है तथा जिसके कारण आवेदक को दिया गया पूरक बिल उचित है।

19 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेदक को फरवरी 2016 से दिसंबर 2016 तक की अवधि का दिया गया पूरक बिल उचित एवं नियमानुसार है जिसका कि भुगतान आवेदक को किया जाना चाहिए।

20 अतः विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के आदेश दिनांक 07.07.2017 को यथावत रखते हुए आवेदक की अपील खारिज की जाती है।

21 उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

22 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल